

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

प.11(9)नविवि/2020 पार्ट / 9003-9336

जयपुर, दिनांक : 31/7/24

अधिसूचना

बजट घोषणा वर्ष 2024-2025 की बिंदु संख्या 176 के क्रम में नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक प.11(9)नविवि/2020 पार्ट दिनांक 14.09.2023 की तालिका 5 की बिंदु संख्या 1 में प्रस्तावित 15 मीटर ऊँचाई तक के भवनों के सम्बन्ध में वर्तमान में निर्धारित फायर सेस की एकमुश्त राशि 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर को घटाकर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर 5 वर्ष के लिए की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(रवि बिजय)

शासन उप सचिव -प्रथम
नगरीय विकास विभाग

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्थानीय निकाय विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. आयुक्त, नगर निगम, समस्त।
8. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक(एन.सी.आर), राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
12. निदेशक, राज्य केंद्रीय मुद्रणालय।
13. उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग (क्षेत्रीय), समस्त।
14. आयुक्त/अधिशापी अधिकारी नगर परिषद/पालिका समस्त।
15. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
16. संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
17. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
18. सुरक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव -प्रथम
नगरीय विकास विभाग